

फर्दे अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपस्थित अधीकारी सिकराय
 सरकार बनाम रमेश / रामप्रताप
 करम मुकदमा 2237(क) मु० नं० 106/21

क्र. हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3-22	<p>पत्रावली पेशा वकील उभयपक्ष उद्योग माननीय मामलत अतिरिक्त कलक्टर डीना का खानानंतरण काबल पत्र प्राप्त हुकम / जवाब प्रीजवाचा आवे / जवाब अर्थात् लंब्या 1, उव 4 की और से पेश किया गया / वास्ते अतिम आदेश दि० 11.3.22 को पेश हो।</p>	
11/21	<p>पत्रावली पेशा। उभय पक्ष अतिरिक्त आक्षेप। कल 199 सुनी गयी। निर्णय हेतु पत्रावली दि. 22.3.22 को पेश हो।</p>	
22/21	<p>पत्रावली निर्णय हेतु पेशा। उभय पक्ष की कल के तथ्यों पर गौर किया गया। पक्षी रमेश चन्द्र ने अपनी श्राव्य देवरी की मूखी भूमी ख. नं. 288 गै. मू. चाल से खाता सं. 117 की मूखी भूमी वक, परिवारवादीगण की खातेदारी भूमी के ख. नं. 304, 305, 306 व 299 में पूर्व में कबरी गयी Pipe की स्वीकृति दाही हेतु परिवारवादी पक्ष का तर्क रहा कि प्रथमगत Pipe Line उनके द्वारा निर्माणी मूखी भूमी के की सिंचाई वाकत डाली गयी है। पक्षी पक्ष का तर्क रहा कि प्रथमगत Pipe Line दीनवर्ष पूर्व, परिवारवादी पक्ष की सहमति पर 3 feet से ज्यादा गहराई पर पर डाली गयी। अतः परिवारवादी पक्ष द्वारा 10.12.21 को damage कर दिया गया है। उभय पक्ष के साक्ष्यों व कल से साबित है कि पक्षी पक्ष की सहमति से डाली गयी Pipe Line को परिवारवादी पक्ष द्वारा damage किया गया है। चूंकि Pipe Line डाली जा चुकी है अतः उभय पक्षों को पाकें किया जाता है कि वो द्वारा 251(क) RTA के प्रावधानों के तहत, सहमति से डाली गयी Pipe Line के सहमति से साथ, फसल नुकाने उपरान्त बिना किसी वाद-विवाद के करे।</p>	

22.3.22
 (अधीकारी)